सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रवेश नीति 2020–21

(राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों के लिए)

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

आचार्य
राजकीय महाविद्यालय
बाड़मेर (राज.)

प्रथम भाग

प्रस्तावना एवं उद्देश्य

राज्य सरकार के समावेशी उच्च शिक्षा विकास एवं गुणात्मक अभिवृद्धि के लक्ष्य के अनुरूप प्रवेश नीति संरचित है प्रवेश नीति की संरचना के प्रमुख उद्देश्यगत कोरोना कोविड–19 के आधार निम्नांकित हैं :–

1. प्रवेश प्रक्रिया सरल, सहज, सुगम एवं पारदर्शी हो इस उद्देश्य से समस्त राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक भाग प्रथम तथा स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध की कक्षाओं में ऑन लाईन प्रक्रिया द्वारा प्रवेश कार्य होगा। स्नातक भाग द्वितीय, तृतीय तथा स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध कक्षाओं में एकीकृत प्रवेश प्रक्रिया संचालित रहेगी ।
2. उच्च शिक्षा मे गुणात्मक स्तर बनाये रखने के लिये स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओ मे सम्बद्धक विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा नियामक संस्थानों के मानदण्डों को दृष्टिगत रखकर पात्रता एव न्यूनतम अर्हता संबंधी मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं ।
3. समावेशी विकास नीति के अन्तर्गत –
   (i) केन्द्र एवं राज्य सरकार की एडवाइजरी कोविड–19 के मध्यनजर राज्य सरकार ने विद्यार्थी हित हेतु व उनके द्वारा प्राप्त प्राप्तांकों में समतुल्यता लाने के लिए सत्र 2020–21 से प्रवेश में पर्सेन्टाईल हटाकर प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर प्रवेश दिये जाने का निर्णय लिया है।
   (ii) उच्च शिक्षा से वंचित मूकबधिर तथा दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को सत्र 2020–21 से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने सम्बन्धी नियमों में राज्य सरकार ने शिथिलता प्रदान करते हुए किसी भी अकादमिक सत्र में प्रवेश हेतु अन्तराल सम्बन्धी नियमों को पूर्णतः निरस्त कर दिया है।
   (iii) जनजाति उपयोजना क्षेत्र (टी.एस.पी.) में अवस्थित महाविद्यालयों में न्यूनतम विद्यार्थी संख्या मानदण्ड में 25 प्रतिशत की छूट रहेगी ।
   (iv) महिला नामांकन दर में अभिवृद्धि को प्रोत्साहित करने हेतु सहशिक्षा महाविद्यालयों मे महिला अभ्यर्थी को नियम 6.7.10 अ के अन्तर्गत 3 प्रतिशत बोनस दिये जाने के साथ–साथ अन्तराल संबंधी नियमों में छूट देने का प्रावधान भी किया गया है, ताकि अधिक आयु वाली उच्च शिक्षा की इच्छुक महिला अभ्यर्थियों को नियमित उच्च शिक्षण के अवसर प्राप्त हो सके।
   (v) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग (Most Backward Class) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के लिये प्रवेश नीति में राज्य सरकार के नियमानुसार आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
बाड़मेर (राज.)

(vi) पाक विस्थापित, कश्मीर प्रवर्जित एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए भारत/राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार प्रवेश नीति में विशेष प्रावधान किये गये हैं।

(vii) ट्रांसजेण्डर अभ्यर्थियों को ससम्मान उच्च शिक्षण संस्थाओं में (केवल सहशिक्षा महाविद्यालयों में) प्रवेश मिले, इस हेतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लिये गये विशेष निर्णय के अन्तर्गत उन्हें न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश दिया जायेगा।

(Viii) भारतीय सेना व केन्द्रीय सशस्त्र बलों के कार्मिकों व पूर्व कार्मिकों के पुत्र/पुत्री/पत्नी को प्रवेश हेतु 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने के साथ-साथ शहीदों के आश्रितों को न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश का प्रावधान है।

(ix) समग्र व्यक्तित्व विकास से सम्बद्ध सहशैक्षणिक, खेलकूद, समाज सेवा आदि से संबंधित गतिविधियों में उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए प्रवेश हेतु प्राथमिकता तथा बोनस अंकों का प्रावधान है ।

(x) वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए एवं कौशल प्रशिक्षण को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों को कक्षा दसवीं व बारहवीं के समकक्ष माना गया है ।

(xi) कौशल विकास हेतु आई.सी.ए.आई. द्वारा संचालित कैट (Certificate Course in Accounting Technicians) कोर्स, इग्नू द्वारा संचालित पाठ्यक्रम, दिशारी योजना, अंग्रेजी भाषा सुधार हेतु Apps, IIT Bombay द्वारा संचालित Spoken Tutorial की सुविधा भी चयनित महाविद्यालयों में उपलब्ध है।

(xii) प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क शिक्षण एवं मार्गनिर्देशन हेतु प्रतियोगिता दर्पण कार्यक्रम राज्य के समस्त राजकीय महाविद्यालयों में संचालित है।

(xiii) सत्र 2020-21 से ऑनलाईन ई - कनेक्ट द्वारा ऑनलाईन अध्यापन का कार्य।

(xiv) प्रत्येक माह के द्वितीय तथा चतुर्थ शनिवार को आईडिया प्रोग्राम

(xv) संवाद संगम प्रोग्राम के तहत् प्रत्येक माह के अन्तिम शनिवार को अभिभावक-शिक्षक संवाद (PTM) का आयोजन किया जायेगा।

(xvi) प्रत्येक महाविद्यालय में गरीब विद्यार्थियों के लिए सह/सहायक आचार्यों द्वारा बुक बैंक की स्थापना।

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
बाड़मेर (राज.)